पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बुधवार, दिनांक 27.07.2016 को समय अपराह्न 03.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)**

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	सी.आई.टी. विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अभनपुर, नया रायपुर (B.Sc. I Maths Group, B.Sc. I Bio Group- 2014-15)	B.Sc. II Year- Maths Group- Physics. Chemistry. Math	40	2016–17	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला 3. प्रो. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला 4. डॉ. अमिताभ बनर्जी, प्राचार्य, शास. महा. नगरी
		B.Sc. II Year- Bio Group- Chemistry. Botany, Zoology	40	2016–17	
	निरीक्षण तिथि : 18.07.2016 – 1. बी.एस.सी. भाग–II के गणित समूह एवं बायो समूह 40–40 छात्रों के लिये सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक कक्षाओं के लिये पर्याप्त अधोसंरचना है। 2. पुस्तकायल में पुस्तकें पर्याप्त हैं, कुछ पुस्तकों की और आवश्यकता होगी। 3. धारा–28 में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	शास. नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा (B.A.LL.B.-I, II - 2014-15 & 2015-16)	B.A.LL.B.-III - Integrated course (Five Year)	60	2016–17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2. डॉ. विनीता अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक, विधि, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर
	निरीक्षण तिथि : 19.07.2016 दिनांक 19.07.2016 को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा शासकीय नवीन विध महाविद्यालय का निरीक्ष्ज्ञण कियागया समिति ने पाया कि (1) महाविद्यालय के पास वर्तमान में कक्षाओं हेतु पर्याप्त अधोसरंचना है। (2) प्राचार्य द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय हेतु पृथक भवन का निर्माण ग्राम देवरी में किया जाना प्रस्तावित है जिस पर शासकीय स्तर पर कार्यवाही चल रहा है। शासन द्वारा विधि के 5 शिक्षकों का सेट–अप विभाग हेतु स्वीकृत है। (3) महाविद्यालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं। तृतीय वर्ष (जिसकी याचना हेतु महाविद्यालय में आवेदन किया है) उसकी पुस्तकें खरीदी जा चुकी हैं AIR Manual का सेट भी खरीदा जा चुका है। (IV) भविष्य में Moot court की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका फर्नीचर वगैरह बनवाने की कार्यवाही चल रही है। (V) प्राचार्य द्वारा जनकारी गई कि समीप के गांवों में Legal Awareness Camp लगाना प्रस्तावित है जिसके द्वारा ग्रामीणों को लोकोपयोगी अधिनियमों की जानकारी प्रदाय की जावेगी। (VI) कोर्ट के बाहर विवादित प्रकरणों के निपटारे तथा संबंधित पक्षकारों को समझाईश देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायक legal Aid Client का गठन भी महाविद्यालय द्वारा किया गया है BCI के प्रावधानों हेतु अनुसार इसका गठन कोर्ट में लम्बित प्रकरणों की संख्या कम करने के लिए आवश्यक है। समिति अनुशंसा करती है महाविद्यालय की BALLB-III year की सम्बद्धता 2016–17 के लिए प्रदान की जा सकती है।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर	LLB.-I st year LLB.-IInd year LLB.- IIIrd year	160	2016-17 2017-18 2018-19	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंधन संस्थान 3. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला
	निरीक्षण तिथि :– 25.07.2016 वि.वि. पत्र क्रमांक 1722/अका./संबद्धता/2016 दिनांक 12.07.2016 के संदर्भ में LLB.-IIIrd year (2016-17, 2017-18, 2018-19) के लिये निरीक्षण किया। 1. Infrastructure पर्याप्त है। Library में पुस्तकें एवं जर्नल पर्याप्त है। 2. Moot Court के आधुनिकरण की आवश्यकता है। 3. Sanctioned post (07+01) के विरूद्ध केवल 04 शिक्षक कार्यरत् है अंशकालिक शिक्षकों नियमानुसार Court के संदर्भ में Practical हेतु आवश्यकता।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पो.–बीजभाटा, जिला–बेमेतरा (B.B.A -I,II, B.Com. - I,II B.C.A.- I,II-- 2012-13, 2013-14)	B.B.A. -III	30	2014–15	1. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंधन संस्थान 2. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर 3. डॉ. ए.के. तिवारी, प्राचार्य, दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
		B.Com. - III (Compulsory Subject with Computer Application)	30		
		B.C.A.- III	30		
	निरीक्षण तिथि :– 02.07.2016 वि.वि. पत्र क्रमांक 1670/अका./2016 दिनांक 05.07.2016 के संदर्भ में निरीक्षण किया गया। 1. BBA-IIIrd year, B.C.A.-IIIrd year & B.Com. (Computer Application) सभी 30 सीट के लिये Infrastructure पर्याप्त है। 2. B.C.A.-IIIrd year & B.Com. (C.A.) के Computer Lab-40 No. के साथ उपलब्ध है लेकिन Licence Software लेने की आवश्यकता है। 3. Library में पुस्तके छात्र/सीट सं. के अनुपात में क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 4. परिनियम 28 के तहत शिक्षक नहीं है लेकिन अन्य शिक्षक उपलब्ध है। परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु विज्ञापन एवं अन्य कार्यवाही की गई है। (संलग्न है)				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	संत गुरु घासीदास शास. स्ना. महाविद्यालय, कुरूद, जिला–धमतरी (M Sc. Prev.- Mathematics M.A. Prev- Economics- 2015-16)	M.Sc. Final- Mathematics	20	2016–17	1. डॉ. एच.के पाठक, आचार्य, गणित अध्ययनशाला 2. डॉ. अमिताभ बेनर्जी, शासकीय गुरुघासीदास नागे महा. नगरी–सिहावा
		M.A. Final- Economics	25	2016–17	1. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. के.के. बिन्दल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि :– 18.07.2016

आज दिनांक 18.07.2016 को M.Sc. final, Mathematics (20 Seats) एवं M.A. third Semester, Economics (25 Seats) की सत्र 2016–17 में सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया तथा निम्न तथ्य पाये गये –

1. कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. M.Sc. Maths हेतु दो अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है।
3. M.A. Eco. में वर्तमान में कोई भी शिक्षक नहीं है, अतः 2 शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है।
4. महाविद्यालय में ग्रंथागार में विषय से संबंधित पर्याप्त पुस्तकें हैं।
5. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें स्थायी प्राचार्य नियुक्त है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06.	शासकीय वीर सुरेन्द्रसाय महाविद्यालय, गरियाबंद	M.A. Previous Economics	25	2016–17	1. प्रो. आर.पी. दास, प्रबंध संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायुपर 2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. विनोद कुमार जोशी, डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महावि. रायपुर
	शासन का आदेश पृ. क्र. 3–35/2015/38–1 नया रायपुर, दिनांक 21.08.2015				

निरीक्षण तिथि :– 20.07.2016

1. Building is used for collectorate purpose, So college classes are going on a school building.
2. One Assistant Professor is looing after the subject other Posts are vacant.
3. The atmosphere is not very encouraging for PG Class.
4. No. books in the library.

03. **परिनियम क्रमांक –14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने मानद् उपाधि समिति की अनुशंसा पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न है।

04. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 से प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।**

टीप : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–33/2015/38–1 नया रायपुर, दिनांक 05.07.2016 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लाक–सी–30 द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 33/605/आउशि/योजना/2016 दिनांक 08.07.2016 के द्वारा विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 में प्रवेश मार्ग–दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि करने की अनुमति दी है, सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों की सूची एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है :–

क्र.	महाविद्यालयों का नाम	कक्षा/विषय	सीट वृद्धि संख्या
1	डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महावि., रायपुर, जिला–रायपुर	बी.एस.सी. (बायोलॉजी)	40
		बी.एस.सी. (गणित)	25
2	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा,	डी.सी.ए.	10

	जिला–रायपुर	पी.जी.डी.सी.ए.	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	60
3	शासकीय महाविद्यालय, आरंग, जिला–रायपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	50
		बी.काम. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. गणित प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. बायो समूह प्रथम वर्ष	25
4	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, जिला–रायपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (बायो)	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित)	10
5	शासकीय दू.ब. महिला पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर, जिला–रायपुर	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष	15
		एम.एस.सी. रसायशास्त्र	5
		एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	5
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	5
		एम.एस.सी. फूड एंड न्यूट्रिशन	5
		पी.जी. डिप्लोमा इन डायटेटिक्स	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
		एड ऑन कोर्स इन कम्प्युटर साईंस	10
6	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर	एल.एल.एम.	10
		एम.ए. भूगोल	5
7	शासकीय दाउ कल्याण सिंह महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजर	बी.ए भाग–1	20
		बी.एस.सी. भाग 1 (बायोलाजी)	30
		बी.एस.सी. भाग 1 (गणित)	20
		बी.एसी. भाग 1 आई.टी.	3
		बी.काम. भाग 1	30
		एम.एस.सी. गणित	10
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	5
8	शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला–बलौदाबाजार	बी.ए. भाग एक	20
		बी.एसी. भाग एक बायो.	20
9	शासकीय महाविद्यालय, कसडोल, जिला–बलौदाबाजार	बी.ए. प्रथम वर्ष्ज	40
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30
		बी.एसी. प्रथम वर्ष गणित	30

		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	10
		एम.एस.सी. गणित	15
10	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार	बी.ए. प्रथम वर्ष	40
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	10
		एम.एस.सी. गणित	15
11	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम, जिला– गरियाबंद	बी.एस.सी बायो समूह प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. गणित समूह प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	60
		बी.कॉम प्रथम वर्ष	30
12	शासकीय महाविद्यालय, छुरा जिला– गरियाबंद	बी.ए. प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. बायो समूह प्रथम वर्ष	20
13	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कुरूद, जिला– धमतरी	बी.कॉम प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित	40
		एम.ए. पूर्व भूगोल	10
		एम.एस.सी. पूर्व रसायन	10
		एम.एस.सी. पूर्व भौतिकी	10
14	शासकीय महाविद्यालय, भखारा , जिला–धमतरी	बी.ए. प्रथम वर्ष	5
		बी.काम. प्रथम वर्ष	5
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	5
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	5
		पी.जी.डी.सी.ए.	5
		डी.सी.ए.	5
15	शास. महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी	बी.ए. प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
16	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी महा. महासमुंद, जिला–महासमुंद	बी.ए. प्रथम वर्ष	80
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	10
		बी.काम. प्रथम वर्ष	40
		एम.काम. प्रथम सेमेस्टर	10
		एम.एस.सी. रसायन प्रथम सेमे.	5

		एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	5
		एम.ए. समाज शास्त्र प्रथम सेमे.	5
		एम.एस.सी. गणित	5
		पी.जी.डी.सी.ए.	20
		डी.सी.ए.	10
17	शासकीय महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद	बी.एस.सी. बायो. प्रथम वर्ष	20
18	शासकीय महाविद्यालय सरायपाली, जिला–महासमुंद	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	15

05. **यू.जी.सी. द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुवीक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2016 अनुसार रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त अथवा पंजीकृत उपाधि धारकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : भारत का राजपत्र 10 मई, 2016 एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

06. **सत्र 2015–16 एवं 2016–17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–**

<u>शासकीय महाविद्यालय</u>

2015–16

1 शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–रायपुर
2 शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
3 शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर, कन्या महाविद्यालय दुर्ग

2016–17

4 शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद
5 शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला–रायपुर
6 नवीन शास. कालेज भखारा, जिला–धमतरी
7 डॉ. राधा बाई, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
8 शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला– बलौदाबाजार
9 शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद
10 शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी

<u>अशासकीय महाविद्यालय</u>

1 ओम श्री साईं नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवां), जिला–रायपुर (छ.ग.)
2 शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर छ0ग0)
3 विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
4 कोलम्बिया कालेज, प्लाट नं.–97, ग्राम–टेकारी, पो.आ.–मांढर, जिला–रायपुर (छ.ग.) 493111
5 श्रीमती पी.जी. डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
6 रोंचुरी रिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला–रायपुर (छ.ग.)
7 दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट, स्टडिज, सत्यविहार, विधान सभा, चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार, गार्ग, रायपुर (छ.ग.)
8 दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
9 शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांढर, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)

10 कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लाट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

11 नवीन शास. कालेज भखारा, जिला–धमतरी

12 गुरूकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)

13 महंत लक्ष्मी नारायण दास महा. रायपुर (छ.ग.)

14 विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.

15 विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, व्हाया–मंदिर हसौद, जिला–रायपुर (छ.ग)

16 इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

17 नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, जिला–रायपुर (छ.ग.) (2015–16)

07. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1746 / अका / वि.प.स्थायी समिति / 2016 रायपुर, दिनांक 15 / 07 /2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 15.07.2016 पूर्वाह्न 12.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ		सदस्य
3. डॉ. रश्मि मिंज	–	सदस्य
4. डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
5. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

अनुपस्थित सदस्य – डॉ. अमरकांत पाण्डेय

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णयः विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसींवा, रायपुर (स्थापना वर्ष–1988–89)	M.A. (Final) Hindi	25	2016–17	1. डॉ. शैल शर्मा, आचार्य, साहित्य एवं भाषा अ.शा. 2. डॉ. आभा तिवारी, प्राचार्य, शास. महावि. पिथौरा
		M.Sc. (Final) Mathematics	15	2016–17	1. डॉ. सी.एल. देवांगन, प्राचार्य, शास. नवीन महावि. फिंगेश्वर 2. डॉ. अमिताभ बैनर्जी, प्राचार्य, शास. एस.एन. महावि. नगरी
		M.A.-Prev.- 2015-16			

निरीक्षण तिथि : 05.07.2016 – एम.ए. अंतिम हिन्दी

1. आज दिनांक 05.07.2016 को शा. महावि. धरसींवा में एम.ए. हिन्दी (तृतीय सेमेस्टर) की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण किया गया।
2. हिन्दी विषय में ग्रंथों की संख्या यद्यपि उपयुक्त है, पर तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के लिए कुछ और पुस्तकों की आवश्यक है।
3. महावि. में साइंस एवं कला विषयों में हिन्दी विषय का अध्यापन होता है इसके अतिरिक्त एम.ए. में भी अध्ययन किया जा रहा है। इस हेतु अध्यापन के लिए कम से कम तीन और पदों की आवश्यकता है।

एम.एस.सी. अंतिम गणित

निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता हेतु अनुशंसा की जाती है :

1. विषय से सम्बन्धित संदर्भ ग्रंथों का क्रय किया जाये (कम से कम 50,000=00 रु.)
2. निर्धारित संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था की जाये। (कम से कम 3 सहायक प्राध्यापक एवं 1 [illegible])

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर (स्थापना वर्ष–2013–14) B.Sc.-I-2013-14 II-2014-15 B.A.-I-2013-14 II-2014-15 B.Com.-I-2013-14 II-2014-15	B.Sc.-III F.C., Chemistry Maths, Physics	60	2015–16 से	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला
		B.A.-III - Hindi, English (F.C.), Sociology Political Sc. History	60	2015–16 से	2. डॉ. ए.के. शुक्ल, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद
		B.Com.-III (Compulsory Subject)	60	2015–16 से	3. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. [illegible] महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 02.07.2016

शर्तें –

1. महाविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने।
2. ग्रंथालय में 50000/– की पुस्तकें एवं प्रयोगशाला हेतु एक लाख रुपयो के उपकरण क्रय करने।
3. विश्वविद्यालय के नियमों एवं आदेशों का पालन करने की शर्तो की पूर्ति की शर्त पर सत्र 2015–16 हेतु निम्नानुसार सम्बद्धता की पात्रता बनता है :–
   - (i) B.Sc.-III- (60 Seats) (F.C., Chemistry, Maths, Physics)
   - (ii) B.A.-III- (60 Seats) (Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History)
   - (iii) B.Com.-III- (60 Seats) (Compulsory Subject)

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03	कोपल वाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, पं. सुंदरलाल शर्मा स्कूल कैम्पस, सुंदर नगर, रायपुर (शासन का आदेश–61/05/आउशि/अशै.प्र./2016 दि. 17.05.2016)	B.A.-II year (F.C., Drawing, Painting, Dance & Sociology) B.A.-I-2016-17 **कार्या.टीप – महाविद्यालय को प्रथम वर्ष की सम्बद्धता 2016–17 के लिए प्रदान की गई है।**	30	2016–17	1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान एवं आचार्य अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. स्वप्निल कर्महे, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर 3. डॉ. प्रमोद शर्मा, आचार्य, समाजशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 01.07.2016

वि.वि. के आदेश क्र 1468/अका./2016 रायपुर दिनांक 10.06.2016 के तहत कोपलवाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय सुंदर नगर, रायपुर में बी.ए. द्वितीय वर्ष की अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण आज दिनांक 01.07 2016 को किया गया, जिसमें निम्न तथ्य पाये गये :–

1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है।
2. भवन किराये का है।
3. 28 परिनियम में शिक्षक नियुक्त नही है।
4. ग्रंथालय में पुस्तकें नहीं है।
5. 28 परिनियम के तहत सभी विषय में शिक्षक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। ग्रंथालय में सभी विषयों के छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

निर्णय : **अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।**

संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04	दिशा लॉ कॉलेज, सत्यविहार विधानसभा, चंदखुरी मार्ग, रायपुर **(स्थापना वर्ष–2014–15)** B.A.LLB-I-2014-15 II-2015-16 LLB- I-2014-15 II-2015-16	B.A.LLB-III year LLB-III year	120 60	2016–17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2. डॉ. विनीता अग्रवाल, शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर

निरीक्षण तिथि : 25.06.2016

गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 25.06.2016 को दिशा विधि महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया निरीक्षण समिति में प्रो. अ. अलीम खान तथा डॉ. विनीता अग्रवाल सदस्य थीं। निरीक्षण में पाया गया कि –

1. महाविद्यालय के पास पर्याप्त कक्ष–कक्षाएं हेतु एवं आवश्यक अधोसंरचना मौजूद है।
2. महाविद्यालय को वर्तमान में पर्याप्त पुस्तकें हैं पर उसकी संख्या में वृद्धि आवश्यक है सदस्यों को बताया गया कि AIR आदि के Backset खरीदे जाने का प्रस्ताव है।
3. परिनियम 28 के अनुसार प्राचार्य एवं विधि के शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
4. महाविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है ऐसा समिति को बताया गया जिसे शिघ्रातिशिघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
5. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा सत्र 2016–17 पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
6. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा सत्र 2016–17 में स्नातक स्तर पर BALLB तृतीय वर्ष तथा LLB तृतीय वर्ष की अनुमति पत्र क्र. 32/393/आउशि/अशैप्र/2016 दिनांक 26.02.2016 द्वारा प्रदान कर दी गई है।

शर्तें :–

1. पर्याप्त अधोसंरचना मौजूद है।
2. परिनियम 28 में प्राचार्य एवं शिक्षको की नियुक्ति आवश्यक है।
3. लाइब्रेरी को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।
4. B.C.I. की कोई शर्त हो तो उसे पूरा किया जाना आवश्यक है।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।

संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर (स्थापना वर्ष–2006–07)	**B.Com.** पूर्व सीट सं –120 **BBA** पूर्व सीट सं –120	30 सीट वृद्धि 30 सीट वृद्धि	2016–17	1. प्रो. आर.पी. दास, आचार्य, प्रबंध संस्थान प.र.शु. वि.वि. रायपुर 2 प्रो. ए.के. पाण्डेय, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कुरूद 4. डॉ. डी.के. पाण्डेय, शास. महाविद्यालय, तिल्दा

शासन का आदेश क्र. एफ 17–21 / 2016 / 38–2
दिनांक 10.02.2016

Inspection Date - 20-06-2016

1. College has adequate infrastructure in terms of
    (1) Class Rooms
    (2) Computers
    (3) Library
    (4) Faculty
2. The College has appointed 2 Faculty in Management & 3 more are appointed for BBA programme.
3. In Commerce, they have 2 Faculty appointed under 28, for 3 more interview is to be held in the month of June, 2016.

However :

College should appoint :

(i) 5 More faculty for BBA programme U/s 28.
(ii) 6 More faculty for B.Com U/s 28; and
(iii) Purchase Books worth Rs. 50,000/- each for commerce and management to meet the increase in seats in two courses.

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।

संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

04 सत्र 2016–17 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अध्ययन मण्डल के द्वारा अनुशंसित सत्र 2016–17 के लिए निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

कला संकाय

1	भाषा विज्ञान	4	क्लासिक्स
2	दर्शन शास्त्र	5	अंग्रेजी
3	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान	6	हिन्दी

संगीत एवं उर्दू विषय में अध्ययन मण्डल के सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

सामाजिक विज्ञान संकाय

1	राजनीति विज्ञान	5	अर्थशास्त्र
2	क्षेत्रीय अध्ययन	6	इतिहास
3	समाजशास्त्र	7	प्राचीन भारतीय इतिहास
4	मनोविज्ञान		

विज्ञान संकाय

1	सांख्यिकी	5	भूविज्ञान
2	इलेक्ट्रॉनिक्स	6	भौतिकी
3	भूगोल	7	रसायन
4	गणित	8	संगणक विज्ञान

जीव विज्ञान संकाय

1	मानव विज्ञान	4	बायोसाइंस
2	प्राणीशास्त्र	5	बायोटेक्नालॉजी
3	वनस्पति शास्त्र		

विधि संकाय

1 विधि

वाणिज्य संकाय

1 वाणिज्य

शिक्षा संकाय

1 शिक्षा

टेक्नोलॉजी संकाय

1 फार्मेसी

गृह विज्ञान संकाय

1 होमसाइंस

प्रबंध संकाय

1 प्रबंध

शारीरिक शिक्षा संकाय

1 शारीरिक शिक्षा

05. **सत्र 2016–17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–**

शासकीय महाविद्यालय

1 राजीव गांधी शास. महाविद्यालय, सिमगा, जिला– बलौदाबाजार 2015–16 एवं 2016–17
2 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
3 स्व श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद
4 शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला– बलौदाबाजार 2015–16 एवं 2016–17

5 चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला–महासमुंद

6 शास. दू.ब. स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

7 शास. लालश्याम शाह कॉलेज, मानपुर जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) 2015–16

8 शास. पं. श्यामा शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभाग जिला–गरियाबंद 2015–16

9 शास. वीर सुरेन्द्र साय कॉलेज, गरियाबंद जिला–गरियाबंद 2015–16

10 इंदिरा गांधी शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, जिला–दुर्ग 2015–16

11 स्व. ठाकुर महराज सिंह शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, जिला–बेमेतरा 2014–15 एवं 2015–16

12 शास. स्व. छोटे लाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी

13 शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर

अशासकीय महाविद्यालय

1 कालिंदी महाविद्यालय, स्वाती एजुकेशन, सोसायटी, लालपुर, रायपुर (छ.ग.)

2 आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

3 आदर्श कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर (छ.ग.)

4 सेंट्रल कॉलेज आफ इंफमेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)

5 नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम–बलभाठा, व्हाया अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

6 ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाठा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)

7 प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)

8 विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी–191, देवपुरी, फुंडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

9 स्वामी अजय गुरूदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम– मुड़पार, पो.– खरोरा, तह. – तिल्दा, जिला– रायपुर

10 दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)

11 महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

12 श्री बिरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, प्लाट नं.–724/1, स्ट्रीट नं.–1, ग्राम+पोस्ट–जामगॉव, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

13 दिशा कालेज आफ साइंस एंड कामर्स, प्लाट नं.–788/1/2, 792/3, दिशा पार्क रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)

14 दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)

15 इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुंद (छ.ग.)

16 जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, रिसाई रोड, धमतरी (छ.ग.)

17 पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

18 एस.के.टी.डी. विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

19 महात्मा गॉधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)

20 कला महाविद्यालय जी – जामगांव, जिला–धमतरी

21 कला एवं वाणिज्य कन्या महावि. देवेन्द्र नगर, रायपुर 2015–16

22 समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पोस्ट–बिजभाटा, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) 2015–16

23 श्री रामेश्वर गहिरा गुरू संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापारा, जशपुर

निर्णय : सत्र 2015–16 एवं सत्र 2016–17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र 1747/अका./वि.प.स्थायी समिति/2016 रायपुर, दिनांक: 15/07/2016

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

विषय

परिनियम क्रमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने मानद् उपाधि समिति की अनुशंसा पर विचार करना।

टीप

विश्वविद्यालय का बाईसवां दीक्षांत–समारोह दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। दीक्षांत–समारोह के मुख्य आतिथ्य हेतु पद्मविभूषण प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर, आयुका, पुणे ने अपनी सहमति प्रदान की है।

परिनियम क्रमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक गुरूवार, दिनांक 21.07.2016 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि– "**पद्मविभूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर, आयुका पुणे** को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामय बाईसवां दीक्षांत–समारोह में परिनियम–14 के प्रावधानानुसार उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र में राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की **डी. एस–सी.(विज्ञान संकाय)** की **मानद् उपाधि** प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।"

बहुमुखी प्रतिभासंपन्न व्यक्तित्व के धनी **पद्मविभूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर, आयुका, पुणे** को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामयी बाईसवाँ दीक्षांत–समारोह में विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक–14 के प्रावधानानुसार **डी.एस–सी.(विज्ञान संकाय)** की **मानद् उपाधि** प्रदान करने हेतु प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कुलसचिव

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

कमांक/ 2170 /के.एस./2014, रायपुर, दिनांक 21/22 जुलाई, 2016

परिनियम कमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक **गुरुवार, दिनांक 21.07.2016 को अपराह्न 3.00 बजे** कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. एस.के.पाण्डेय, कुलपति
2. प्रोफे.शिव वरण शुक्ल, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा नामांकित
3. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय,संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय

कार्यवृत्त :

विश्वविद्यालय का बाईसवां दीक्षांत समारोह दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। दीक्षांत–समारोह के मुख्य आतिथ्य हेतु पद्मविभूषण प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर, आयुका, पुणे ने अपनी सहमति प्रदान की है।

पद्मविभूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर एक महान भारतीय खगोल वैज्ञानिक हैं। उनका जन्म 19 जुलाई, 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार में हुआ।

युवा जयंत विष्णु नार्लीकर असाधारण प्रतिभाशाली और हमेशा स्कूल और कालेज की परीक्षाओं में अव्वल दर्जे के विद्यार्थी रहे। 1959 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान के साथ बी.एस–सी. ऑनर्स की उपाधि ली। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एम.एस–सी. की उपाधि प्राप्त की। 1960 में वे टायसन पदक खगोल विज्ञान के लिए अर्जित किया। 1963 में सर फ्रैड होले के मार्गदर्शन में कैम्ब्रिज

विश्वविद्यालय से बेरी रैमसे फेलो के रूप में पी- एच.डी. की उपाधि अर्जित की। वे 1966 से 1972 तक किंग्स कॉलेज में फेलो के रूप में कार्य करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक खगोल विज्ञान संस्थान के संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य किया। उनके शोधकार्य में गुरूत्व, विभिन्न खगोलीय पिंडों और ब्रह्मांड के गठन के बीच गुरूत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांतों पर अनुसंधान शामिल था। उन्होंने लोकप्रिय बिग बैंग सिद्धांत को एक और दृश्य प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत के अनुसार खगोल का विस्तार नहीं है, लेकिन स्थिर है। उन्होंने खगोल विज्ञान पर स्थिर सिद्धांत, गुरूत्व, विद्युत आदि के सिद्धांत प्रतिपादित किए।

1969 में जब वे भारत लौटे, भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। डॉ. नार्लीकर ने देश के लिए अपनी सेवाएं देने का फैसला किया। 1972 में डॉ. नार्लीकर ने टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) मुंबई में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। यहां वे सैद्धांतिक खगोल भौतिकी समूह के प्रभारी रहे। अनुसंधान और शिक्षण के अलावा वे डॉक्टरेट छात्रों का मार्गदर्शन किया। 1988 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र, पुणे (IUCAA) की स्थापना की और वे इसके संस्थापक निदेशक बने तथा होमी भाभा प्रोफेसर के रूप में काम किया। डॉ. नार्लीकर अंतराष्ट्रीय स्तर पर खगोल विज्ञान में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। विशेष रूप से लोकप्रिय बिग बैंग मॉडल के लिए। 1994–97 के दौरान वे अंतराष्ट्रीय खगोलीय संघ के खगोल विज्ञान आयोग के अध्यक्ष रहे।

1989 में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के वेणु बापू मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में भारतीय विज्ञान अकादमी के लिए 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' और 1996 में यूनेस्को की 'कलिंग पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। 2003 को 'यशवंत राव चव्हान' राष्ट्रीय पुरस्कार–2002 से सम्मानित किया गया। विज्ञान और विशेष रूप से खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी मातृभाषा में 'आकाश से संबंधित' पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान की अनेक कहानियां लिखीं। उनकी पुस्तकें हिंदी और गुजराती में अनुवाद किया गया है। 2010 के लिए 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर उनके वैज्ञानिक अनुसंधान,

विज्ञान से संबंधित किताबें, लेख, रेडिया, दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान के एक वाहक के रूप में जाने जाते हैं।

डॉ. नार्लीकर को उनके योगदान के लिए भटनागर पुरस्कार, बिड़ला पुरस्कार, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी पुरस्कार, रॉयल एस्ट्रोनामिकल सोसायटी, लंदन, विज्ञान के थर्ड वर्ल्ड अकादमी पुरस्कार, कलिंगा पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के इंदिरा गांधी पुरस्कार आदि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और मानद् डॉक्टरेट से सम्मानित किया जा चुका है। डॉ. नार्लीकर को उनके शोध कार्य के लिए वर्ष 2004 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया ।

ऐसे प्रतिभासंपन्न व्यक्तित्व के धनी डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर, आयुका, पुणे को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामयी बाईसवां दीक्षांत–समारोह में विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक–14 के प्रावधानानुसार उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र में राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए क्रमशः **डी.एस–सी.** (विज्ञान संकाय) की **मानद् उपाधि** प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

(प्रो.एस.के.पाण्डेय)
कुलपति

(प्रो.शिव वरण शुक्ल)
माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति
द्वारा नामांकित

(प्रो. (श्रीमती) रमा पाण्डेय)
संकायाध्यक्ष
विज्ञान संकाय

	पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड) से उप पुस्तकालयध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड) (चरण 3 से चरण 4)	ग्रेड)	उपयोग कर न्यूनतम एपीआई अंक। बारह वर्ष में कम से कम तीन प्रकाशन। महाविद्यालयों में एम-फिल धारकों को एक प्रकाशन और पीएचडी धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है। (तीन) साथ ही, पुस्तकालय ऑटोमेशन / अकादमिक प्रलेखीकरण हेतु विश्लेषणात्मक साधन विकास की श्रेणियों में एक पाठ्यक्रम / प्रशिक्षण (चार) विनियम और तालिका आठ (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया
4	विश्वविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 5) (केवल विश्वविद्यालयों हेतु)	विश्वविद्यालयों में चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले उप–पुस्तकालयध्यक्ष	(एक) तालिका आठ(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक। न्यूनतम एपीआई अंक प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयध्यक्ष दो आकलन अवधियों (चरण 3 और 4 में) को जोड़ सकते हैं, यदि आवश्यक हो। (दो) कार्मिक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन। (तीन) नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं और प्रकाशित कार्य की आयोजना का प्रमाण। (तीन) विनियम और तालिका आठ (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया

नोट: शिक्षकों हेतु सीएएस के लिए तालिका दो(क) हेतु उपलब्ध विवरणात्मक नोट इस संवर्ग हेतु विनिर्दिष्ट एपीआई अंकों के अनुसार पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों के पर भी लागू है।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2016

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION) (3RD AMENDMENT), REGULATIONS, 2016.

No.F.1-2/2016 (PS/Amendment).—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby frames the following Regulations to amend the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, Regulations, 2010, namely: -

2. Short title, application and commencement:

2.1 These Regulations may be called the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education (3rd Amendment), Regulations, 2016.

2.2 They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the Commission, in consultation with the university concerned under Clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and every institution deemed to be a university under Section 3 of the said Act.

2.3 They shall come into force with immediate effect.

3. In the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher Education, Regulations, 2010 (Principal Regulation 2010) the following amendments are made: -

Existing provisions of the following clauses of the Principal UGC Regulations 2010	Amendments made in the following clauses of Principal UGC Regulations 2010
3.0.0. Recruitment and Qualifications **3.1.0** The direct recruitment to the posts of Assistant Professors, Associate Professors and Professors in the Universities and Colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committees as per the provisions made under these Regulations to be incorporated under the Statutes/Ordinances of the concerned university. The composition of such committees should be as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.2.0** The minimum qualifications required for the post of Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Principals, Assistant Directors of Physical Education and Sports, Deputy Directors of Physical Education and Sports, Directors of Physical Education and Sports, Assistant Librarians, Deputy Librarians, Librarians will be those as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.3.0** The minimum requirements of a good academic record, 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the master's level and qualifying in the National Eligibility Test (NET), or an accredited test (State Level Eligibility Test - SLET/SET), shall remain for the appointment of Assistant Professors. **3.3.1**. NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities / Colleges / Institutions : *Provided* however, that candidates, who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions.	3.0.0. Recruitment and Qualifications **3.1.0** The direct recruitment to the posts of Assistant Professors, Associate Professors and Professors in the Universities and Colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committees as per the provisions made under these Regulations to be incorporated under the Statutes/Ordinances of the concerned university. The composition of such committees should be as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.2.0** The minimum qualifications required for the post of Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Principals, Assistant Directors of Physical Education and Sports, Deputy Directors of Physical Education and Sports, Directors of Physical Education and Sports, Assistant Librarians, Deputy Librarians, Librarians will be those as prescribed by the UGC in these Regulations. **3.3.0** The minimum requirements of a good academic record, 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the master's level and qualifying in the National Eligibility Test (NET), or an accredited test (State Level Eligibility Test - SLET/SET), shall remain for the appointment of Assistant Professors. **3.3.1**. NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities/Colleges/ Institutions : *Provided* however, that candidates, who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. **Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -** (a) **Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;** (b) **Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;** (c) **Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work;** (d) **The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work;** (e) **Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.** (a) to (e) as above are to be certified by the Vice

3.3.2 NET/SLET/SET shall not be required for such Masters Degree Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET accredited test is not conducted.

3.4.0 A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) will be required at the Master's level for those recruited as teachers at any level from industries and research institutions and at the entry level of Assistant Professors, Assistant Librarians, Assistant Directors of Physical Education and Sports.

3.4.1 A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe /Differently-abled (Physically and visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.

3.5.0 A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.

3.6.0 Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.

3.7.0 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for the appointment of Professors and for promotion as Professors.

3.8.0 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for all candidates to be appointed as Associate Professor through direct recruitment.

3.9.0. The period of time taken by candidates to acquire M.Phil. and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/ research experience to be claimed for appointment to the teaching positions.

4.4.0 ASSISTANT PROFESSOR

4.4.1. Arts, Humanities, Sciences, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication.

i. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.

ii. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) for

Chancellor/ Pro-Vice-Chancellor/ Dean (Academic Affairs)/Dean (University Instructions)"

3.3.2 NET/SLET/SET shall not be required for such Masters Degree Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET accredited test is not conducted.

3.4.0 A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) will be required at the Master's level for those recruited as teachers at any level from industries and research institutions and at the entry level of Assistant Professors, Assistant Librarians, Assistant Directors of Physical Education and Sports.

3.4.1 A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste /Scheduled Tribe /Differently-abled (Physically and visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.

3.5.0 A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.

3.6.0 Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.

3.7.0 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for the appointment of Professors and for promotion as Professors.

3.8.0 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for all candidates to be appointed as Associate Professor through direct recruitment.

3.9.0. The period of time taken by candidates to acquire M.Phil. and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/ research experience to be claimed for appointment to the teaching positions.

4.4.0 ASSISTANT PROFESSOR

4.4.1. Arts, Humanities, Sciences, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication.

i. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.

ii. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) for

प्रारूप

Pt. Ravishankar Shukla University

Raipur 492010 CG

Certificate

This is to certify that the Ph. D. Degree awarded to Mr./ MS ---------- ---------- vide university notification No.---------- Dated---------- fulfills the following criterion as mentioned in the UGC Regulation, ***University Grants Commission on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in the university and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education (3rd Amendment), Regulation 2016.***

a) The Ph. D. Degree of the candidate awarded in regular mode only;
b) Evaluation of the Ph. D. thesis by at least two external examiners;
c) Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/ her Ph. D. work;
d) The candidate had presented two papers in seminars/ conferences from out of his/her Ph.D. work;
e) Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.

(Dy. Registrar Academics)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR 492010 CG INDIA

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

(विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016)

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	**शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर**	PGDCA DCA	40 40	2016–17 2016–17	1. डॉ. अनिल तिवारी, प्राचार्य, दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर 2. डॉ. समीर ठक्कर, शासकीय नागार्जुन विज्ञान पीजी कालेज, रायपुर
	निरीक्षण तिथि : 26.07.2016 – 1. अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. प्रयोगशाला उपलब्ध है। (कम्प्यूटर प्रयोगशाला **PGDCA/DCA** हेतु) 3. कालेज में कुल 25 कम्प्युटर उपलब्ध है। 4. 05 कम्प्यूटर की आवश्यकता है। 5. बीस हजार रुपये (20,000=00) की कम्प्यूटर से संबंधित किताबें क्रय कियए जाने की आवश्यकता है। 6. नए कोर्स हेतु दो शिक्षकों एवं एक प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जावे।				

***

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई, 2016

परिनियम क्रमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक **गुरुवार, दिनांक 21.07.2016 को अपराह्न 3.00 बजे** कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. एस.के.पाण्डेय, कुलपति –

2. श्री शिव वरण शुक्ल –
   माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा नामांकित

3. डॉ.(श्रीमती) रमा पाण्डेय, –
   संकायाध्यक्ष,
   विज्ञान संकाय

STATUTE No. 14

Honorary Degree

(Refer Section 35 (g))

A proposal for cenferment of Honorary Degree may be made by the Standing Committee of the Academic Council unanimously. It shall be placed before a committee consisting of the Kulpati, a nominee of the Kuladhipati and the Dean of the Faculty concerned. If The Committee unanimously recommends that an honorary degree be conferred on any person on the ground that he is, in its opinion, a fit and proper person to receive such degree, its recommendation shall be placed before the Academic Council. On approval by the Academic Council it shall go before the executive Council.

If not less than two-third of the members of the Executive Council recommend and when their recommendation is supported by a majority of not less than two-third of the members present and voting at a meeting of the Court such majority being not less than one-half of the total memership of the Court, for the time being, the court may, if such recommedation is confirmed by the Kuladhipati, confer on such person, the honorary degree so recommended;

Proviede that, in cases of urgency, the kuladhipati may act on the recommendation of the Executive Council. Provided further that, in cases of emergency such proposal. may be confirmed by Kuladhipati if the said committee's recommendation has been approved by the executive Council.

❖ ❖ ❖

STATUTE No. 15

Registration of Graduates

(Refer Section 46)

Persons entitled to registration in the Register of Registered Graduates under Section 46, shall apply to the Registrar of the University in the Form "A" given in the Appendix.

Graduates shall be registered as members for seven years only on payment of Lump sum fee of Rs. 50/-

Application for registration may be made at any time during a year.

Provided that only those graduates who are registered as Registered Graduates of the University ninety days prior to the date of election of Registered Graduates for membership of the Court, shall be elegible to vote at such election.

For the purpose of enrolment in the Resister of registered Graduates-

a) the perlod of three years standing shall be reckoned from the date on which the appliant degree was cigned by the Kulpati or other competent authority of the University;

b) the following evidence shall be produced by the applicant in support of graduation

i) his degree or a copy therof duly attested by a Gazetted Officer or a Professor or a Principal of a college; or

ii) a certificate from the Registrar of the University conferring the degree to the effect that he

विषय

परिनियम क्रमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने मानद् उपाधि समिति की अनुशंसा पर विचार करना।

टीप

विश्वविद्यालय का बाईसवां दीक्षांत–समारोह दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। दीक्षांत–समारोह के मुख्य आतिथ्य हेतु पद्मविभूषण प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर, आयुका, पुणे ने अपनी सहमति प्रदान की है।

परिनियम क्रमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक गुरूवार, दिनांक 21.07.2016 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि– "**पद्मविभूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर, आयुका पुणे** को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामय बाईसवां दीक्षांत–समारोह में परिनियम–14 के प्रावधानानुसार उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र में राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की **डी. एस–सी.(विज्ञान संकाय)** की **मानद् उपाधि** प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।"

बहुमुखी प्रतिभासंपन्न व्यक्तित्व के धनी **पद्मविभूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर, आयुका, पुणे** को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामयी बाईसवॉं दीक्षांत–समारोह में विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक–14 के प्रावधानानुसार **डी.एस–सी.(विज्ञान संकाय)** की मानद् **उपाधि** प्रदान करने हेतु प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कुलसचिव

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक/ 2170 /के.एस./2014, रायपुर, दिनांक 21 जुलाई, 2016
22

परिनियम क्रमांक—14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक **गुरुवार, दिनांक 21.07.2016 को अपराह्न 3.00 बजे** कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए --

1. प्रो. एस.के.पाण्डेय, कुलपति
2. प्रोफे.शिव वरण शुक्ल, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा नामांकित
3. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय

कार्यवृत्त :

विश्वविद्यालय का बाईसवां दीक्षांत समारोह दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। दीक्षांत--समारोह के मुख्य आतिथ्य हेतु पद्मविभूषण प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर, आयुका, पुणे ने अपनी सहमति प्रदान की है।

पद्मविभूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर एक महान भारतीय खगोल वैज्ञानिक हैं। उनका जन्म 19 जुलाई, 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार में हुआ।

युवा जयंत विष्णु नार्लीकर असाधारण प्रतिभाशाली और हमेशा स्कूल और कालेज की परीक्षाओं में अव्वल दर्जे के विद्यार्थी रहे। 1959 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान के साथ बी.एस—सी. ऑनर्स की उपाधि ली। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एम.एस—सी. की उपाधि प्राप्त की। 1960 में वे टायसन पदक खगोल विज्ञान के लिए अर्जित किया। 1963 में सर फ्रैड होले के मार्गदर्शन में कैम्ब्रिज

विश्वविद्यालय से बेरी रैमसे फेलो के रूप में पी–एच डी की उपाधि अर्जित की। वे 1966 से 1972 तक किंग्स कॉलेज में फेलो के रूप में कार्य करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक खगोल विज्ञान संस्थान के संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य किया। उनके शोधकार्य में गुरूत्व, विभिन्न खगोलीय पिंडों और ब्रह्मांड के गठन के बीच गुरूत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांतों पर अनुसंधान शामिल था। उन्होंने लोकप्रिय बिग बैंग सिद्धांत को एक और दृश्य प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत के अनुसार खगोल का विस्तार नहीं है, लेकिन स्थिर है। उन्होंने खगोल विज्ञान पर स्थिर सिद्धांत, गुरूत्व, विद्युत आदि के सिद्धांत प्रतिपादित किए।

1969 में जब वे भारत लौटे, भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। डॉ. नार्लीकर ने देश के लिए अपनी सेवाएं देने का फैसला किया। 1972 में डॉ. नार्लीकर ने टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) मुंबई में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। यहां वे सैद्धांतिक खगोल भौतिकी समूह के प्रभारी रहे। अनुसंधान और शिक्षण के अलावा वे डॉक्टरेट छात्रों का मार्गदर्शन किया। 1988 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र, पुणे (IUCAA) की स्थापना की और वे इसके संस्थापक निदेशक बने तथा होमी भाभा प्रोफेसर के रूप में काम किया। डॉ. नार्लीकर अंतराष्ट्रीय स्तर पर खगोल विज्ञान में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। विशेष रूप से लोकप्रिय बिग बैंग मॉडल के लिए। 1994–97 के दौरान वे अंतराष्ट्रीय खगोलीय संघ के खगोल विज्ञान आयोग के अध्यक्ष रहे।

1989 में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के वेणु बापू मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में भारतीय विज्ञान अकादमी के लिए 'इंदिरा गांधी पुररकार' और 1996 में यूनेस्को की 'कलिंग पुररकार' से सम्मानित किया गया। 2003 को 'यशवंत राव चव्हान' राष्ट्रीय पुरस्कार–2002 से सम्मानित किया गया। विज्ञान और विशेष रूप से खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी मातृभाषा में 'आकाश से संबंधित' पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान की अनेक कहानियां लिखीं। उनकी पुस्तकें हिंदी और गुजराती में अनुवाद किया गया है। 2010 के लिए 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर उनके वैज्ञानिक अनुसंधान,

विज्ञान से संबंधित किताबें, लेख, रेडियो, दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान के एक वाहक के रूप में जाने जाते हैं।

डॉ. नार्लीकर को उनके योगदान के लिए भटनागर पुरस्कार, बिड़ला पुरस्कार, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी पुरस्कार, रॉयल एस्ट्रोनामिकल सोसायटी, लंदन, विज्ञान के थर्ड वर्ल्ड अकादमी पुरस्कार, कलिंगा पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के इंदिरा गांधी पुररकार आदि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और मानद् डॉक्टरेट से सम्मानित किया जा चुका है। डॉ. नार्लीकर को उनके शोध कार्य के लिए वर्ष 2004 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया ।

ऐसे प्रतिभासंपन्न व्यक्तित्व के धनी डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर, आयुका, पुणे को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामयी बाईसवां दीक्षांत–समारोह में विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक–14 के प्रावधानानुसार उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र में राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए क्रमशः **डी.एस–सी.** (विज्ञान संकाय) की **मानद् उपाधि** प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

(प्रो.एस.के.पाण्डेय) कुलपति	(प्रो.शिव वरण शुक्ल) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा नामांकित	(प्रो. (श्रीमती) रमा पाण्डेय) संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय